राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/ आ.वि.कं./ 2022
19 अगस्त, 2022

सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं

महोदया/महोदय

किफायती आवास निधि के (एएचएफ वित्तीय वर्ष 2021-22) अंतर्गत पुनर्वित्त योजना

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) का उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों के लिए कार्य करने हेतु एक मजबूत, स्वस्थ, व्यवहार्य एवं लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए पीएलआई को उनके वैयक्तिक आवास ऋण के संबंध में पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु रा.आ.बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि (एएचएफ) की स्थापना की गई थी। रा.आ.बैंक ने समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर योजना के विवरणों/मानदंडों का विवरण देते हुए विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं।

3. किफायती आवास निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 10,000 करोड़ रुपये की निधि आबंटित की गयी है। किफायती आवास निधि (एएचएफ) योजना वित्त वर्ष 2021-22 के व्यापक दिशा-निर्देश अनुलग्नक I में प्रदान किये गए हैं।

4. दावों **को पहले आओ पहले पाओ आधार पर एवं निधि की उपलब्धता के अधीन** संसाधित किया जाएगा।

भवदीय,

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन विभाग

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई.मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

अनुलग्नक I

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबंटित किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना

एएचएफ (वित्त वर्ष 2021-22) के तहत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. **उद्देश्य-** एएचएफ का उपयोग पीएलआई से प्राप्त मांगों के आधार पर ग्रामीण और शहरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पिछले 12 माह के दौरान संवितरित पुनर्वित्त के लिए अनुरोध की तिथि के अनुसार बकाया वैयक्तिक आवास ऋणों के पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा।

2. **किफायती आवास निधि के तहत पुनर्वित्त के लिए पात्र पीएलआई**

- आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.)
- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- अनुसूचित सहकारी बैंक (एससीओबी)
- लघु वित्त बैंक (एसएफबी)
- शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां (एसीएचएफएस)
- कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

3. **कवर किए गए क्षेत्र**

- शहरी - प्रधानमंत्री आवास योजना की सांविधिक नगर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र - शहरी;
- ग्रामीण - कोई अन्य क्षेत्र जो प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी की सांविधिक नगर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

4. **पात्र वैयक्तिक आवास ऋण**

- पुनर्वित्त के अनुरोध की तिथि को बकाया वैयक्तिक आवास ऋण जो पिछले 12 माह के दौरान संवितरित किए गए थे।
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर मास्टर निदेश के अनुच्छेद 12.1(i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार वैयक्तिक आवास ऋण संवितरित किए गए।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और महिलाओं को उधार देने पर भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों में परिभाषित कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक आवास ऋण।
- कमजोर वर्ग और महिलाओं के अलावा अन्य उधारकर्ताओं को ऋण के संबंध में, उधारकर्ताओं की वार्षिक घरेलू आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹3 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में ₹6 लाख से अधिक न हो।

5. **ऋण अवधि -** अधिकतम 7 वर्ष

6. **ऑन-लेंडिंग ब्याज दर की अधिकतम सीमा**

10 वर्ष के जी-सेक यील्ड पर 350 बीपीएस *(तिमाही के अंतिम दिन के अनुसार यील्ड को आगामी तिमाही के लिए पुनर्वित्त हेतु माना जाएगा)*

7. **ब्याज दर**- रा.आ.बैंक द्वारा पीएलआई को दिया जाने वाला पुनर्वित्त एक निश्चित ब्याज दर पर होगा एवं ब्याज दरें बैंक द्वारा सरकार/भा.रि.बैंक के निर्देश के अनुसार तय की जाएगी।

8. **ब्याज का भुगतान**- मासिक चक्रवृद्धि और देय तिमाही

9. **मूलधन की चुकौती** – तिमाही

10. **अन्य**

एएचएफ के अंतर्गत किया गया कोई भी संवितरण रा.आ.बैंक द्वारा अनुमोदित पीएलआई की संस्वीकृत सीमा एवं रा.आ.बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत लागू अन्य नियमों एवं शर्तों के भीतर होगा। पीएलआई को श्रेणीवार पात्र वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची सॉफ्ट प्रारूप के साथ ही प्रिंट आउट में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
National Housing Bank